सेवा में,
गारू थाना, लातेहार झारखंड 829204

विषय : मेरे पति ब्रम्हदेव सिंह के हत्या की प्राथमिकी
दर्ज करने के संबंध में,

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं जीरामनी देवी पति
ब्रम्हदेव सिंह उम्र 22 वर्ष पता गाँव ग्राम
पिरी टोला गनईखाड़ पंचायत धासितोला, लातेहार
झारखंड 829204, की निवासी हूँ। यह है कि
ब्रम्हदेव सिंह भाड़े की गाड़ी चलाते थे और।
ब्रम्हदेव सिंह और मेरी शादी दो साल पहले
हुई थी और इसी। इस शादी से एक वर्ष का
बच्चा प्रिंस है।

यह कि 13 जून को पिरी गाँव में सरहुल
पुजा तय की गई थी और 12 जून को गाँव के
कुछ आदिवासी पुरुषने म सरहुल मनाने की तयारी
अंतर्गत शिकार पर जाने के लिए सुबह लगभग 8
बजे राजेश्वर सिंह के घर के सामने जुटे और जंगल
से छोटे जानवर - खरगोश, सुअर आदि - का शिकार
करने के उद्देश्य से निकले। यह कि इस गाँव के
आदिवासी हर साल सरहुल पुजा के पहले पारंपरिक
रूप से शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार के लिए
व भरटुआ बंदूक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह
बंदूक असने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल होते
रहे हैं। यह कि समूह में 6 लोग - ब्रम्हदेव सिंह उम्र
24 वर्ष पता गाँव गनईखाड़ टोला धासीटोला पंचायत
ग्राम पिरी लातेहार झारखंड 829204 रघुनाथ सिंह उम्र
27 वर्ष ग्राम पिरी टोला गनईखाड़ पंचायत धासीटोला
लातेहार झारखंड 829204 राजेश्वर सिंह उम्र 52 वर्ष
ग्राम पिरी टोला गनईखाड़ पंचायत धासीटोला लातेहार
झारखंड 829204 दिननाथ सिंह उम्र 25 वर्ष ग्राम
पिरी टोला गनईखाड़ पंचायत धासीटोला लातेहार झारखंड
829204 सुकुलदेव सिंह उम्र 21 वर्ष गाँव पिरी टोला गनईखाड़
पंचायत धासीटोला लातेहार झारखंड 829204 व गोविंद सिंह
उम्र 30 वर्ष ग्राम पिरी टोला गनईखाड़ पंचायत धासीटोला
लातेहार झारखंड 829204 निकले इनमें ब्रम्हदेव सिंह और
दिननाथ सिंह आगे थे। ब्रम्हदेव सिंह ने हरे रंग की टी-
शर्ट और कॉम्बैट तीन चौथाई वाला पैन्ट पहनी
थे। यह कि बाकी पाँच बनियान टी-शर्ट और हाफ पैन्ट
में थे।
यह कि ब्रम्हदेव सिंह राजेश्वर सिंह के घर से
जंगल की ओर थोड़ी दूर बढ़ा था इतने में दूसरी

Received
23/06/24
O/C Garu PS
LHR

P.T.O

तरफ से एक टीम कोबरा के 203 पनी के टीम नंबर 11 के
कमांडर सहायक समादेष्टा ए० किरण कुमार तथा टीम नंबर 13
के कमांडर सहायक समादेष्टा राजपाल गुरजर के नेतृत्व में
तथा दूसरी टीम झारखंड जैगुआर के AG 22 का नितृत्व
सहायक समादेष्टा श्री राजीव कुमार, पुलिस उपाधीक्षक अरविन्द
कुमार तथा AG23 का नितृत्व सहायक समादेष्टा धर्मेन्द्र
कुमार राय एंव पुलिस अपाधीक्षक प्रकाश स्वांय और पु० अ० नि०
अ० नि० रूपलाल प्रसाद लातेहार थाना और पु० के जवान
छिपाकर थोबी व अन्य 60-100 सुरक्षा बल की सूचना मुख्य
ने गोली चलाती शुरू कर दी। येह टीम प्राथमिकी संख्या 24/2021
ग्रामीणों के विरूद्ध गारू थाना, गोली चलने लगी तब कुछ
से प्राप्त हुआ। यह कि जब के पास जमा हो गए।
लोग पास के एक महुआ के पेड़ पर रख के हाथ उठा के
ब्रह्मदेव व अन्य ने बंदूक जमीन मावोवादी (पार्टी) नहीं
चिल्लाया कि वे आम जनता हैं, किया। ब्रह्मदेव सिंह
है, और गोली न चलाने का अनुरोध गोली नहीं चलाया था,
व अन्य ग्रामीणों ने एक बार भी रही जिससे ब्रह्मदेव
पुलिस द्वारा धुआंधार गोलियां चलती कुछ दूर तक गोली
को गोली लगते ही वे गिर पड़े। पनपतिया देवी घटना
चलती रही और जब ब्रह्मदेव की चाची तो इन्हें सुरक्षाबलों
स्थल पर ब्रह्मदेव को देखने पहुंची दिया। चाची के
ने गोलिया देकर डरा धमका कर भगा क्योंकि उनके हाथ
अनुसार तब तक ब्रह्मदेव जिन्दा थे, सुरक्षा बल ने ब्रह्मदेव
पैर हिल रहे थे। इसके बाद ले गयी और जमीन पर
को टांग कर नदी के पार यह भी सत्य है कि इस
रखकर फिर से गोली मारी। का कपड़ा बदला।
इसके बाद सुरक्षाबल ने ब्रह्मदेव पर ब्रह्मदेव के शव
स्थानीय अखबारों में घटनास्थल ब्रह्मदेव नील रंग की
की जो फोटो छपी है, उसमें हैं, बल्कि ब्रह्मदेव
जीन्स एवं पीला टी शर्ट पहने हुए में घर से निकले
हरे रंग की टी-शर्ट और कार्गोपैन्ट
था।

अत: महाशय से निवेदन है कि मेरे पति कि हत्या
के लिए जिम्मेवार सुरक्षा बल पर प्राथमिकी दर्ज की जाए
और हत्यारो पर न्यायसंगत कारवाई कि जाए और मुझे
और मेरे परिवार वालों को न्याय दिलाई जाए। धन्यवाद
मैंने डर भय के कारण आवेदन नहीं दिए थे।

आपका अभारि

नाम - जिरामनी देवी, पति स्वर्गीय ब्रह्मदेव
सिंह
ग्राम पिरी टोला गनईखाड़, पंचा
यत सासी टोला, लातेहार झारखंड
8292054